कार्यालय :– नगर पालिक निगम बीरगांव जिला रायपुर छ.ग.

सडक, नाली, मार्ग, सार्वजनिक स्थलों आदि का सफाई एवं मुक्कड तक कचरे का प्राथमिक परिवहन कार्य सहित सफाई ठेका हेतु निविदा आमंत्रण

निविदा की नियम एवं शर्ते

ठेका जोन कमांक/क्षेत्र का विवरण..कार्य का नाम :–...

1. सशर्त निविदा अमान्य होगी ।
2. प्रत्येक जोन एवं सफाई कार्य सहित श्रमिक आपूर्ति के लिये पृथक पृथक निविदा आमंत्रित की गई है, जिसकी अमानत राशि आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अधिसूचित बैंको से एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी ।
3. निविदा 12 माह की अवधि के लिये होगी, आवश्यकतानुसार कार्यावधि में वृद्धि /कमी की जा सकेगी एवं अगले वित्तीय वर्ष के लिये कार्यावधि के पूर्व भी आवश्यकतानुसार नई निविदा बुलायी जा सकती है ।
4. निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज, व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है ।
5. **निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता :–**
   1. आयकर विभाग से पंजीयन व चुकता प्रमाण पत्र व कम से कम 02 वर्ष का आयकर रिटर्न ।
   2. ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
   3. ई.एस.आई.सी. विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
   4. यदि फर्म हो तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र व पार्टनर फर्म हो तो पार्टनर डीड प्रमाण पत्र ।
   5. शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी/गांरटी रू. 5.00 लाख से 25 लाख तक के कार्यो के लिये रू. 3.00 लाख का , रूपये 25.00 लाख से 50 लाख तक के कार्यो के लिये रू. 5.00 लाख का राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र ।
   6. शासकीय विभागों में कार्य करने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
   7. ठेकेदार को निर्धारित श्रमिक का लायसेंस के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. सफाई कार्य हेतु **प्रति वार्ड निर्धारित श्रमिको के द्वारा निर्धारित कार्यो के आदेश शेडयूल अनुसारा प्रतिदिन कार्य हेतु लगाना अनिवार्य होगा** , रखे गये श्रमिकों के द्वारा प्रति वार्ड में स्थित नालियों, सी.सी. रोड गली रोड, अन्य सार्वजनिक स्थलों के झाडु लगाने एवं नालियों का सफाई कार्य कर निर्धारित मुक्कड तक कचरे का प्राथमिक परिवहन कार्य किया जावेगा एवं वार्डो से डोर–टु–डोर कचरे का संग्रहण कर मुक्कड तक निपटान किया जाना शामिल होगा ।
7. ठेकेदार को सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार संख्या **में व्हील बॅराज , झाडु, रापा तगाडी, बेलचा पंजा एम.एस.राड, श्रमिकों के लिये अन्य सुरक्षा उपकरण जैसे गमबूट, दस्ताने, मास्क** आदि उपलब्ध कराकर प्रतिमाह सुपरवाईजर से सत्यापन कराना होगा । सामग्री उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में सामग्री के लागत की राशि के अनुरूप गणना कर प्रतिमाह ठेकेदार के लाभाश देयक राशि से सामाग्री की दो गुणा राशि कटौती की जावेगी ।

8. ठेकेदार को शासन द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर पर श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी आदि का भुगतान प्रतिमाह सबंधित श्रमिक के बैंक खाता में करना अनिवार्य होगा । सर्विस टैक्स लागू होने पर संबंधित विभाग को भुगतान किया जावेगा निविदा दर श्रमिकों की न्यूनतम पारिश्रमिक (कलेक्टर दर) पर लांभाश सेवा शुल्क प्रतिशत दर पर आमंत्रित होगा ।

9. सफाई कार्य में लगे श्रमिकों की उपस्थिति बायोमैट्रीक उपकरण से कराना अनिवार्य होगा , श्रमिकों के कार्य का मानिटरिंग हेतु सेटेलाईट सिस्टम भी लागू किया जा सकता है एवं कार्य के पर्यवेक्षण (मानिटरिंग) प्रतिदिन की जावेगी । ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि, सुपरवाईजर को प्रत्येक कार्य अवधि प्रातः 6.00 बजे से 10..00 बजे एवं 2.00 बजे से 4.00 तक उपस्थित रहकर 8 घंटा दो पाली में एवं निर्देशानुसार रात्रिकालिन के सफाई कार्य कराना अनिवार्य होगा । श्रमिकों की उपस्थिति निर्धारित समयावधि में नही पाये जाने पर पारिश्रमिक राशि का दुगुना राशि की कटौती ठेकेदार से की जावेगी कार्य समाप्ति पश्चात पुनः बायोमैटिक में उपस्थिति दर्ज करना होगा ।

10. किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं जानमाल की हानि होने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

11. ठेकेदार को सफाई कार्य में सलग्न श्रमिकों को **ड्रेस कोड या पहचान कोड** उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ठेकेदार द्वारा ड्रेस उपलब्ध नही कराये जाने पर लाभान्स राशि से कटौती कर निकाय द्वारा ड्रेस उपलब्ध कराया जावेगा ।

12. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिवस प्रतिवार्ड 04 निर्धारित संख्या व समयावधि में पुरूष एवं महिला के समानुपात में श्रमिक रखना अनिवार्य होगा, वार्डवार निर्धारित संख्या में सफाई श्रमिक उपलब्ध नही कराये जाने व सफाई कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पडने पर व्यय की राशि का प्रतिदिन के हिसाब से दुगुना राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी ।

13. वार्ड के निर्धारित सडक, नाली, सार्वजनिक स्थल एवं आवश्यकतानुसार स्थानों का समुचित सफाई नियमित रूप से करना अनिवार्य होगा । मुख्य मार्ग में स्थित नालियों की प्रतिदिन सफाई कराया जाना आवश्यक होगा । सफाई कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार एवं उनके सुपरवाईजर की होगी ।

14. ठेकेदार सवयं के द्वारा सफाई ठेका प्राप्त कर कार्य करेंगे किसी अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त ठेका उपलब्ध नही कराया जावेगा , अन्य व्यक्ति को पेटी ठेका दिया जाता है तो तत्काल ठेका समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी इस कार्यवाही में होने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार से की जावेगी ।

15. निविदाकर्ता को स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर नॉन ज्यूडिशियल स्टांम्प में अनुबंध कराना होगा । अनुबंध शर्तो का अक्षरतः पालन करना होगा ।

16. ठेकेदार को कार्य में रखे गये श्रमिकों का विवरण बैंक खाता ,मोबाईल नम्बर, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी खाता संख्या, आधारकार्ड का विवरण एवं उनके परिवार नामिनी सहित चाही गई अन्य समस्त जानकारी अनुबंध के पूर्व उपलब्ध कराना होगा ।

17. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नही छोड सकेगा । किसी कारण से सफाई कार्य ठेकेदार को बंद करना पड़े तो इसकी लिखित सूचना नगर पालिक निगम को 30 दिवस पूर्व देना होगा, ठेका छोड़ने पर न्यूनतम रू. 50,000.00 (रू. पचास हजार) की पेनाल्टी वसूली जावेगी, एवं जमा अमानत राशि व सुरक्षा राशि राजसात कर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदार ठेकेदार की होगी ।

18. कोई भी ऐसा फर्म/ठेकेदार व उनके डीड पार्टनर निविदा हेतु पात्र नही होगा जिसका निकाय से सबंधित पूर्व में कोई भी बकाया हो या पूर्व के वर्षो में कार्य संतुष्टिपूर्वक नही किया गया हो ।

19. निविदा समाप्ति पर कार्यरत श्रमिकों को पुनः कार्य पर रखने की जवाबदारी निकाय की नही होगी ।

20. ठेकेदार का कोई भी सफाई श्रमिक के द्वारा मारपीट, गैर कानूनी कार्य इत्यादि करने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी ।

21. ठेकेदार को निकाय द्वारा प्रति वार्ड के आवश्यकतानुसार हाथ ठेला, व्हील बैरॉज उपलब्ध कराया जावेगा , कार्य के दौरान हाथ ठेला (व्हील बॅराज) नही पाये जाने पर रूपये 500 से 1000.00 तक का प्रतिदिन जुर्माना की कटौती की जावेगी । निकाय द्वारा प्रति वार्ड आवश्यकतानुसार डोर–टु–डोर कचरा कलेक्शन हेतु सायकल रिक्शा ठेकेदार को उपलब्ध करायी जा सकेगी , जिसका रिपेरिंग व मम्मत संधारण संबंधित ठेकेदार को करना होगा । व्हील बॅराज के मुक्कड तक प्राथमिक कचरा परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा । ठेकेदार द्वारा सामाग्री का मरम्मत संधारण कराये जाने की अवधि में देरी होने पर निकाय द्वारा उक्त सामाग्री की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है जो निरीक्षक व निकाय के विभागीय अधिकृत अधिकारी के सत्यापन अनुसार उक्त अवधि का किराया की दुगुनी राशि ठेकेदार के देयक से कटौती की जावेगी । ठेका छोडने/ठेका निरस्त होने/ठेका अवधि पूर्ण होने पर व्हील बेरॉज व सायकल रिक्शा तथा आवश्यकतानुसार प्रदाय किये गये बैटरी चलित आटो सहित सलामत निकाय को वापस करना होगा । अन्यथा ठेकेदार के सूरक्षा व अमानत राशि से सामाग्री की राशि की कटौती की जावेगी ।

22. कचरा को निकाय द्वारा निर्धारित स्थल मुक्कड़ पर इकट्ठा करना होगा, वार्ड से मुक्कड़ तक कचरा नही उठाने पर रूपये 1000.00 प्रतिदिन प्रति स्थल तथा अन्यत्र कचरा डालने पर प्रति स्थल रू. 200.00 का अर्थदंड वसूली किया जावेगा, मुक्कड़ से निर्धारित ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक कचरे का परिवहन निकाय में उपलब्ध संशाधनों से अथवा अलग से ठेके के माध्यम से किया जावेगा ।

23. वार्डो में स्थित नालियों, सड़कों, मैदानों, दैनिक साप्ताहिक बाजार व मीट मार्केट, पेशाबघरो, सार्वजनिक शौचालयों (जो निकाय द्वारा संचालित हो) की सफाई, नालियों एवं सड़कों आदि से निकले कचरों अवशिष्टों को व्हील बैरो के माध्यम से एकत्रितकर निर्धारित मुक्कड तक परिवहन करना अनिवार्य होगा ।

24. निकाय क्षेत्र में स्थित दैनिक/साप्ताहिक बाजार के एक दिन पूर्व व पश्चात बाजारों की सफाई तथा विशिष्टजनों के आगमन पर सभा स्थलों की विशेष सफाई कराना शामिल होगा ।

25. सफाई ठीक से नही करने /मुक्कड़ तक कचरा का प्राथमिक परिवहन प्रतिदिन नही करने /आधा अधूरा परिवहन करने की दशा में भुगतान की राशि मे कटौती की जावेगी अथवा कार्य व्यवस्था में सुधार नही होने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा ।

26. ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिक के द्वारा कार्य बंद करने उसकाने व किसी भी हड़ताल धरना की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि व रोकी गई सूरक्षा राशि लाभान्स आदि राजसात करने व फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी ।

27. ठेकेदार को कार्य में रखे गये श्रमिकों के लिये पृथक से आवश्यक निर्देश व इस सबंध में जानकारी शर्तो के अनुरूप निर्देश से अवगत कराना होगा , कार्य अवधि में निरीक्षण के दौरान श्रमिक अनुपस्थित पाये जाने व कर्तब्य में लापरवाही बरतने पर प्राधिकृत अधिकारी को अनुपस्थित किये जाने का अधिकार होगा ऐसे श्रमिक के द्वारा बार बार कार्य में अनुपस्थित एवं उल्लझलता बरते जाने पर ठेकेदार को उसके स्थान पर तत्काल अन्य श्रमिक की व्यवस्था करना होगा ।

28. किसी भी कार्य दिवस में सफाई कार्य बंद नही रहेगी । किसी भी कर्मी की छुटटी अथवा विकली ऑफ अथवा बीमार होने की स्थिति में एजेन्सी को तत्काल अतिरिक्त श्रमिक की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । अन्यथा नियम शर्त कंडिका 12 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार निगम को होगा ।

29. सफाई कार्य का निरीक्षण किसी भी समय नगर पालिक निगम के पदाधिकारीगण /आयुक्त/एवं सदस्यगण तथा स्वच्छता निरीक्षक /सफाई दरोगा /नगर पालिक निगम के अधिकृत कर्मी/सफाई सुपरवाईजर द्वारा किया जायेगा ।

30. श्रमिकों के कार्य एवं व्यवहार संतोष जनक नही होने पर ऐसे श्रमिको को तत्काल हटाकर दूसरा श्रमिक लगाना होगा ।

31. सफाई कार्य संतोषप्रद न करने/कार्य में लापरवाही बरते जाने पर भुगतान की राशि के कटौती/जुर्माना करने का अधिकार/ठेका निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा तथा जमा अमानत राशि राजसात करने व पुनः ठेके पर देने की कार्यवाही की जा सकेगी, इस पर ठेकेदार के आपत्ति करने का अधिकार नही होगा ।

32. ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों के द्वारा श्रमिक ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी अन्य व्यवस्थाओं के लिये नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी किये गये समस्त नियमों शर्तो वैधानिक कानूनों को पालन करने का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा ।

33. सफाई जोनवार शिकायत पंजी नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार की जावेगी निकाय के सुपरवाईजर के निर्देश आधार पर प्राथमिकता से सफाई कार्य कराकर सुपरवाईजर के माध्यम से दैनंदनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

34. अमानत राशि/सूरक्षा निधि की वापसी अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के पचात किया जावेगा ।

35. सडक सफाई कार्य के साथ निकाय क्षेत्र में निकाय द्वारा प्रदाय कीट नाशक दवाई आदि का छिडकाव भी श्रमिकों के द्वारा समय समय पर आदेशानुसार किया जाना होगा ।

36. अनुबंधकर्ता के द्वारा सफाई कार्य पर रखे गये सफाई कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर की उन्होने नगर पालिक निगम बीरगांव में सफाई कार्य किया है भविष्य में किसी भी नगर पालिक निगम सेवा में रखे जाने के अधिकारी नही होंगे, और ना ही उपरोक्त आधार पर इसका मांग कर सकेंगे ।

37. **निविदाकर्ता लिफाफा "ए" में नोटरी द्वारा सत्यापित अपनी पात्रता संबंधी दस्तावेज, की हार्ड कापी प्रस्तुत करेंगे । अमानत राशि का एफ.डी.आर. अलग लिफाफे अर्थात् " ब " में भरकर प्रस्तुत करेंगे । इन दोनो लिफाफों को एक साथ बड़े लिफाफे में भरकर <u>लाख चापड़ा से सील बंद</u> कर आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव के नाम पर निर्धारित तिथि एवं समय में स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से नगर पालिक निगम बीरगांव में जमा करना होगा, पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने की स्थिति में अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा । पर्याप्त राशि का एफ.डी.आर संलग्न होने पर ही प्राईस बिड खोली जावेगी, अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा ।**

38. प्राप्त निविदा हेतु निगोशियसन का अधिकार निकाय के पास सूरक्षित रहेगा ।

39. छत्तीसगढ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र कमांक 3122/न.प्र./18/2012/2974 रायपुर, दिनांक 10.04.2012 के अनुसार कार्यरत सफाई कामगारों का पहचान पत्र जारी करना होगा एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना होगा ।

40. ठेकेदार को आबंटित क्षेत्र की सफाई सबंधी निदान 1100 के शिकायत का निराकरण शीघ्र करना होगा एवं संबंधित से जानकारी लिया जाकर कार्यालय को सूचित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।

41. सीवर लाईन सफाई के पूर्व एवं बाद में चेम्बर कव्हर को व्यवस्थित करना/खोलना/बंद करना अनिवार्य होगा ।

42. ठेकेदार द्वारा अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत मृत, लावारिस जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि का शिकायत प्राप्त होने पर शीघ्र उठाना होगा जिसका पृथक से कोई भी भुगतान देय नही होगा ।

43. आपात परिस्थितियों में नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सफाई कार्य में लगे श्रमिकों की सेवाएं सफाई सबंधी अन्य कार्य में लगाए जाने का अधिकार निगम को होगा ।

44. सड़क, नाली एवं मुक्कड से कचरा अपशिष्ट उठाने के पश्चात सफाई ठेकेदार को अपने निर्देशानुसार चुना एवं ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव करना अनिवार्य होगा ।

45. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र के नालियों की नियमित सफाई कराकर निकाले गये अपशिष्ट का शीघ्र उचित निपटान करना अनिवार्य होगा ।

46. **ठेकेदार को मासिक भुगतान/कटौतियां निम्नानुसार किया जाएगा :–**

1. शासन द्वारा निर्धारित कलेक्टर दर पर श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक बैक के माध्यम से एवं ई.पी. एफ. ई.एस.आई.सी का भुगतान कर चालान के द्वारा किया जावेगा ।
2. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की पारिश्रमिक व अन्य देय राशियों यथा ई.पी.एफ, ई.एस.आईसी. व सर्विस टैक्स (लागू होने पर) आदि का प्रतिमाह अग्रिम भुगतान किये जाने पर तत्संबंधी चालान/व्हाउचर आदि निकाय में जमा करने के उपरान्त स्वीकृत निविदा दर अनुसार कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में ठेकेदार को देयक भुगतान किया जावेगा ।
3. निकाय की ओर से सफाई सुपरवाईजर द्वारा कार्य में उपस्थित श्रमिकों की वार्डवार प्रतिदिन की मैनुवल एवं बायोमैट्रिक एवं मोबाईल एप द्वारा हाजिरी ली जावेगी जिसका सत्यापन सफाई दरोगा व स्वच्छता निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार श्रमिकों की उपस्थिति के आधार पर भुगतान की जावेगी निर्धारित संख्या से कम श्रमिक लगाए जाने पर श्रमिक के पारिश्रमिक का दो गुणा राशि, प्रति श्रमिक, प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड ली जावेगी जो मासिक भुगतान के समय कुल देयक में से कटौती की जावेगी ।

4. प्रत्येक माह के 5 तारीख तक वार्ड सुपरवाईजर, स्वच्छता निरीक्षक, से अनुशंसा करवाकर देयक निकाय में जमा करने की जिम्मेदार ठेकेदार की होगी निर्धारित समयावधि में देयक प्रस्तुत नही करने पर प्रतिदिन की दर से 100.00 रू. की कटौती की जावेगी ।
5. जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण के लिये स्वच्छता निरीक्षक के संतुष्टी अनुसार किया जाना होगा ।
6. कुल देयक में लाभान्स राशि का 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में रोकी जावेगी जो कि अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वापसी योग्य होगी ।
7. देयक से शासन निर्देशानुसार आयकर व अन्य कटौतियां लागू होगी वह काटी जावेगी ।

47. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सफाई व्यवस्था हेतु शासन स्तर से यदि कोई एजेन्सी नियुक्त की जाती है या आयुक्त के सफाई व्यवस्था में असन्तुष्ट होने की स्थिति में कभी भी कार्य बंद कराने सफाई ठेका निरस्त करने के लिये स्वत्रंत होगा ।

48. निकाय द्वारा ठेकेदार को प्रदाय सामग्री अनुसार सप्ताह में एक दिन वार्ड की समस्त नालियों एवं गडडो में जला हुआ मोबिल आईल तथा केरोसीन के मिश्रण का छिडकाव करवाकर सफाई सुपरवाईजर, सफाई दरोगा व स्वच्छता निरीक्षक तथा आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी से प्रमाणीकरण करावायेगा । प्रमाणीकरण के अभाव में रू. 2000.00 (दो हजार) मासिक कटौती की जावेगी ।

49. सड़क व नाली तथा मुक्कड से कचरा उठाने के पश्चात सफाई ठेकेदार निगम द्वारा दी गई सामाग्री का आवश्यकतानुसार चुना एवं ब्लीचिंग पावडर का छिडकाव करना होगा । अन्यथा 100/– प्रति स्थल की कटौती की जावेगी ।

50. निम्नानुसार अर्थदण्ड देयक से काटी जावेगी :–

1. वार्ड से मुक्कड तक नही उठाने पर 1000.00 प्रति स्थल प्रतिदिन
2. मुक्कड के अतिरिक्त अन्यंत्र कचरा डालने पर 500.00 रू. प्रति स्थल
3. चुना एवं ब्लीचिंग का छिड़काव नही करने पर 100.00 प्रति स्थल
4. जला हुआ मोबिल आयल तथा केरोसीन के मिश्रण का छिड़काव नही करने पर 500.00 रू. मासिक कटौती ।
5. नाली साफ न होने पर 500.00 रूपये प्रतिदिन/प्रति नाली

51. प्रतिदिन की कार्यवधि :–सफाई श्रमिकों से प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे प्रारंभ की जावेगी जो प्रथम पाली, द्वितीय पाली एवं निर्देशानुसार रात्रिकालिन सफाई कार्य करना अनिवार्य होगा ठेकेदार व उनके प्रतिनिधि को प्रत्येक कार्यावधि /दिवस में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा ।

52. घर–घर से निकलने वाले घरेलू कचरे का एकत्रीकरण (डोर–टू–डोर कलेक्शन) कार्य के लिये श्रमिक के द्वारा प्रतिदिन कार्य कराना अनिवार्य होगा इसके साथ सडक पर फैली हुई प्लास्टिक पन्नी एकत्र करना अनिवार्य होगा । ऐसा नही करने पर अर्थदण्ड के साथ साथ उस कार्य दिवस के सफाई कार्य का भुगतान भी नही किया जावेगा ।

53. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय अन्तिम होगा ।
54. चिन्हाकित स्थल के नालियों की सफाई व उससे निकलने वाले कचरा तथा सडक का कचरा को मुक्कड तक प्राथमिक परिवहन करना होगा एवं कये गये कार्य का मुवायना सुपरवाईजर/सफाई दरोगा को कराना होगा ।
55. उपरोक्त शर्त कमांक 01 से 54 तक के शर्तो का पालन नही करने व अन्य निर्देशो का उल्लघन पाये जाने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकर आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव को होगा, एवं निरस्त की स्थिति में निगम को होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक हानि के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।

वर्ष –2017–18 में 12 माह की अवधि के लिये उपरोक्त नियम शर्तो के अधीन जोनवार सफाई ठेका कार्य हेतु जोन/श्रमिकों की संख्या का अगणित विवरण निम्नानुसार होगा :–

कं.	सफाई जोन कमांक एवं क्षेत्र	वार्डो की संख्या	श्रमिकों की संख्या	वार्षिक अगणित राशि (रू. लाखों में)	एफ.डी.आर रूपये में
1	जोन कमांक–01 उरला (वार्ड क.–01 से 05 तक)	05	20	23.34	23400.00
2.	जोन कमांक –02 अछोली (वार्ड कं. 06 से 08 तक)	03	12	14.00	14000.00
3	जोन कमांक–03 रावांभाठा (वार्ड क.–09 से 15 तक)	07	28	32.67	32700.00
4	जोन कमांक–04 उरकुरा (वार्ड क.–16 से 19 तक)	04	16	18.67	18670.00
5	जोन कमांक –05 बीरगांव (वार्ड कं. 20 से 27 तक)	08	32	37.34	37500.00
6	जोन कमांक –06 बीरगांव–2(वार्ड क. 28 से 36 तक)	09	36	42.01	42100.00
7	जोन कमांक–07 सरोरा (वार्ड कं 37 से 40 तक)	04	16	18.67	18670.00
8	जोन कमांक –08 भनपुरी तिराहा से बिलासपुर मुख्य मार्ग एवं सर्विस मार्ग एवं दोनो छोर की नालियों का सफाइ	मुख्य मार्ग	08	09.33	9300.00
9.	जोन कमांक –09 बिलासपुर मुख्य मार्ग व्यास तालाब तिराहा से सिघानिया चौक उरला तक	मुख्य मार्ग	08	09.33	9300.00
10.	जोन कमांक 10 सरोरा –उरला–बेन्द्री मार्ग मुख्य मार्ग तक	मुख्य मार्ग	08	09.33	9300.00

टीप :–

1. लाभान्स बेसिक पारिश्रमिक कलेक्टर दर में प्रतिशत दर पर आमंत्रित होगा ।
2. प्रति वार्ड हेतु 04 श्रमिक निर्धारित किया गया है ।

स्वच्छता निरीक्षक
नगर पालिक निगम बीरगांव

सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम बीरगांव

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव